

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
निदेशक, उर्दू, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

पटना, दिनांक-22 अप्रैल, 2016

विषय:- बजट शीर्ष- "2053- जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएँ-0011-द्वितीय राजभाषा (उर्दू) स्थापना
-मांग संख्या-04 तथा विपत्र कोड-"एन0 2053000940011" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17
की प्रथम चौमाही के लिए राशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय तथा राज्य के समाहरणालय ,
अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालयों के उर्दू भाषा कोषांग में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू अनुवादकों,
सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्चवर्गीय लिपिकों/निम्नवर्गीय लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों के वेतनादि के
भुगतान एवं अन्य आनुषंगिक व्यय हेतु निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए निम्न रूप में
(जिलावार आबंटन सूची के अनुसार) राशि आबंटित की जाती है :-

कोड	इकाईयों/उप इकाईयों	आय-व्ययक अनुमान (2016-17)	आय-व्ययक अनुमान का 33%	प्रथम चौमाही के लिए कुल आबंटन
1	2	3	4	5
01 01	वेतन	24,35,27,000	8,03,63,910	7,63,36,000
01 03	जी0या0भत्ता	31,90,20,000	10,52,76,600	10,27,60,000
01 04	मकान भत्ता	3,81,44,000	1,25,87,520	97,55,200
01 05	परिवहन भत्ता	1,27,000	41,910	41910
01 06	चिकित्सा भत्ता	18,66,000	6,15,780	590600
01 07	अन्य भत्ता	16,000	5,280	5,280
कुल वेतन		60,27,00,000	19,88,91,000	18,94,88,990
06 01	चिकित्सा प्रतिपूति	7,00,000	2,31,000	2,05,000
11 01	यात्रा व्यय	4,00,000	1,32,000	1,32,000
13 01	कार्यालय व्यय	7,00,000	2,31,000	2,31,000
13 06	वर्दी/पोशाक	1,00,000	33,000	0
16 01	प्रकाशन एवं मुद्रण	6,00,000	1,98,000	1,98,000
20 02	कॉन्फरेंस,कार्यशाला,सेमिनार	29,00,000	9,57,000	9,57,000
20 03	प्रशिक्षण व्यय	4,00,000	1,32,000	1,32,000
28 01	व्यवसायिक एवं विशेषसेवाएँ	3,00,000	99,000	99,000
52 01	मशीने एवं उपस्कर	7,00,000	2,31,000	2,31,000
कुल योग		60,95,00,000	20,11,35,000	19,16,73,990

(कुल आबंटित राशि:-उन्नीस करोड़ सोलह लाख तिहत्तर हजार नौ सौ नब्बे रुपये मात्र)

Swain

2/ यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.98, 423/वि0, दिनांक-31.03.2016 एवं 2793/वि0, दिनांक 04-04-2016 के आलोक में स्वीकृत है। वित्त विभाग के पत्रांक 400/वि0, दिनांक 16.05.04 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है। राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों-निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

3/ आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये जाने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं इस विभाग के पत्रांक-538/रा0, दिनांक-30.07.05 एवं 1007/रा0, दिनांक-06.12.06 के आलोक में यथा समय कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5/ आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाबदेही संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6/ बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फैंक्स (0612-22217698)/स्पीड पोस्ट/विशेष दूत से अधोहस्ताक्षरी को विहित प्रपत्र में निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाए।

7/ संबंधित शीर्ष के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले वार्षिक व्यय का इकाईवार आकलन दिनांक 15 जुलाई, 2016 से पहले निश्चित रूप से कर लिया जाए और आवश्यकता से अधिक/कम राशि रहने की स्थिति में अंतरिम प्रत्यर्पण/अतिरिक्त आवंटन के लिये मांग-पत्र विहित प्रपत्र में ही भेजा जाए। सामान्य स्थिति में 15 जुलाई, 2016 के बाद प्राप्त मांग पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

8/ वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 15 अगस्त, 2016 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाय। विलम्ब से प्राप्त बजट प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जा सकेगा तथा इस से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी आपकी होगी।

9/ चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र में 31 मार्च, 2016 तक निश्चित रूप से इस विभाग को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो।

10/ उप आवंटन निर्गत करने तथा राशि की निकासी/व्ययन की कार्रवाई के क्रम में सेवानिवृत्त/बिमार/मृत्यु/निलंबित कर्मचारियों के बकाया वेतनादि/सेवान्त लाभ/जीवन निर्वाह भत्ता/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की राशि के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के लिए आवंटित राशि में मा0 उच्च न्यायालय के निदेशानुसार श्री राजकुमार लाल कर्ण, उच्च वर्गीय लिपिक के बकाये वेतन के भुगतान हेतु 3,50,000 रु0 (तीन लाख पचास हजार रुपए) अतिरिक्त आवंटन शामिल है।

Signature

ज्ञाप संख्या- बजट-03/रा0-2015-16/02/3716/रा0, पटना, दिनांक-22.4.16

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

Signature

ज्ञाप संख्या- बजट-03/रा0-2015-16/02/3716/रा0, पटना, दिनांक-22.4.16

प्रतिलिपि बजट शाखा/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में)/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signature

विश्वामाजन

Signature
(ब्रजेश मेहरात्रा)
प्रधान सचिव 21/4/16

Signature
(ब्रजेश मेहरात्रा)
प्रधान सचिव 21/4/16

Signature
(ब्रजेश मेहरात्रा)
प्रधान सचिव 21/4/16

